न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या :– 15 / दावा / 2016

पीठासीन अधिकारी :– हरबिन्दर डिल्लन सिंह (RAS)

1. हेमराज आयु बालिग आ0 श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. महेश आयु बालिग आ0 स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. श्रीमति रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. साधना
4. सीमा
5. मीनू

नाबालिग पुत्रियां स्व0 रामप्रसाद जाति बैरवा द्वारा संरक्षक माता श्रीमति रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—— प्रतिवादीगण

वाद– अन्तर्गत धारा –92(ए),188 राज0टि0 एक्ट

उपस्थित –

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बृजमोहन गौत्तम
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.03.2021

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 17.02.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भुमि खसरा संख्या 7 रकबा 0.62 है0 ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है, जो वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की खतौनी संख्या 140 नई में खातेदार के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्वत् 2057 से 2060 की खतौनी संख्या 146 में खातेदार के स्थान पर रामप्रसाद वल्द पांचूलाल जाति बैरवा निवासी निमोदा की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त श्री रामप्रसाद बैरवा प्रतिवादी क्रम 1,3,4,5 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 2 का पति है, जिसकी मृत्यु के पश्चात जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में फौती नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 08.12.2010 द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का पूर्व खातेदार श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री पांचूलाल निवासी निमोदा था। उक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार श्री रामप्रसाद ने घरू खर्च हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 0.62 है0 ग्राम निमोदा को 2,40,000/—रू0 के प्रतिफल स्वरूप वादी को दिनांक 22.05.2003 को बैचान कर कब्जा वादी को संभला दिया था तथा संपूर्ण बैचान राशि वादी से प्राप्त कर ली थी। बैचान का लेख बेचाननामा उक्त तिथि दिनांक 22.05.2003 को ही वादी के पक्ष में रूबरू गवाह निष्पादित कर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर दिये थे तथा अपने संपूर्ण अधिकार वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये थे। इस प्रकार वादी दिनांक 25.05.2003 से ही उक्त वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। 12 वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज काश्त चले आने के कारण विवादित कृषि भूमि का खातेदार वादी बन चुका है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा प्राप्ति का अधिकार सदैव के लिये अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है। प्रतिवादीगण जमाबन्दी में नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि से ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.02.2016 को जबरन वादी को बेदखल करने एवं कब्जा करने तथा विवादित भूमि अन्य को बैचान, भारग्रस्त करने की धमकी दी। यही वाद उत्पति का कारण है। यदि प्रतिवादीगण अपने कृत्य में सफल हो

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

गये तो वादी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 23.07.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं हेमराज पीडब्ल्यू 1, बृजमोहन पीडब्ल्यू 2, ब्रह्मानन्द पीडब्ल्यू 3 व बजरंग लाल पीडब्ल्यू 4 को न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श 3, असल बैचाननामा दिनांक 22.05.2003 प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2057–60 प्रदर्श 5, जमा की रसीदे 1 लगायत 3 प्रदर्श 6, रसीद सिंचाई विभाग सं. 2048–72 प्रदर्श 7 पेश किये।

5. वादी की बहस सुनी गई। वादी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 पेज नं. 337, DNJ (SC) 2004 पेज नं. 263 का ससम्मान अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि "आया कि वादी को अनरजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22.05.2003 से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त हुआ है?"

इस सबंध में खातेदारी अधिकार के अन्तरण के सबंध में विधि का अवलोकन करे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 41 में खातेदारी अधिकारो के अन्तरण के सबंध में उल्लेख किया गया है जिसके तहत एक खातेदार अपने खातेदारी अधिकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत एवं उत्तराधिकार के माध्यम से अन्तरण कर सकता है एवं उपरोक्त हस्तान्तरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का भी उल्लंघन नही होना चाहिये। यहां पर वादी ने वाद वर्णित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय नही किया है जबकि खातेदारी अधिकार का अन्तरण अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ही संभव है। उक्त बैचाननामा की ईबारत से जाहिर होता है कि उक्त बैचाननामा, ईकरारनामा की श्रेणी में नही आता है क्योकि बैचाननामा

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि का प्राप्त होना जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बैचाननामा का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था इसलिये उक्त बैचाननामा साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अतः न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 पेज नं. 337 यहां पर लागू नही होती है। अतः वाद वर्णित भूमि पर वादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि "आया कि वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है?"

यहां पर पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार नही है। राजस्व न्यायालय में खातेदार कृषक ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। वादी काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) में दी गई कृषक की परिभाषा के अन्तर्गत नही आता है। ऐसी स्थिति में वादी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

तीसरा महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू यह है कि "आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बैचान कर सकता है?"

इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 इस प्रकार के बैचान को वर्णित करती है। ऐसी स्थिति में उक्त बैचान प्रारंभ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध है अतः वाद वर्णित भूमि पर वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वाद वर्णित भूमि पर वादी अपने हक व अधिकार साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है अतः हक व अधिकारो के अभाव में वादी के पक्ष में वाद वर्णित भूमि के सबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

—:: निर्णय ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बूंदी)

वाद वर्णित कृषि भूमि में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है अतः राज0टी0ए0 की धारा 175 में प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अजअदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास– हरबिन्दर डिल्लन सिंह
आर.ए.एस.

हेमराज **V/S** महेश वगै0

वाद–92(ए), 188 आर0टी0ए0

मुकदमा नम्बर :: 15 / 2016

वादी की ओर से श्रीवृजमोहन गौत्तम, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री ..... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 23.03.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है अतः राज0टी0ए0 की धारा 175 में प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.03.2021 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन